

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

समाहर्ता,
कैमूर, पूर्वी चम्पारण, अरवल, नवादा, रोहतास, बेगूसराय, मधुबनी, लखीसराय,
दरभंगा, पूर्णियाँ,सिवान, सीतामढ़ी, पश्चिम चम्पारण।

पटना-15, दिनांक-.....12-1-15

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्ययक शीर्ष 3604 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन लघुशीर्ष-200 अन्य विविध क्षतिपूर्तियाँ और समनुदेशन उपशीर्ष 0001-भूमि के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर जिला परिषदों को सेस का भुगतान, विपत्र कोड-एन-3604002000001 के अंतर्गत रूपये 1,86,12,450(एक करोड़ छयासी लाख बारह हजार चार सौ पचास) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निम्नांकित जिला परिषदों का उनके नाम के सामने अंकित राशि वर्ष 2013-14 में रोड सेस वसूली के आधार पर आवंटित किया जाता है


क्रम सं०	जिला परिषद का नाम	आवंटित राशि
1	2	3
1	कैमूर	1037500 (दस लाख सैतीस हजार पाँच सौ)
2	पूर्वी चम्पारण	433900 (चार लाख तेतीस हजार नौ सौ)
3	अरवल	398300 (तीन लाख अनठानवें हजार तीन सौ)
4	नवादा	1420450 (चौदह लाख बीस हजार चार सौ पचास)
5	रोहतास	1220400 (बारह लाख बीस हजार चार सौ)
6	बेगूसराय	1764200 (सतरह लाख चौसठ हजार दो सौ)
7	मधुबनी	3241500 (बत्तीस लाख इकतालीस हजार पाँच सौ)
8	लखीसराय	790600 (सात लाख नब्बे हजार छः सौ)
9	दरभंगा	3822500 (अड़तीस लाख बाईस हजार पाँच सौ)
10	पूर्णियाँ	759100 (सात लाख उन्सठ हजार एक सौ)
11	सिवान	1399000 (तेरहा लाख निनानवें हजार)
12	सीतामढ़ी	1470000 (चौदह लाख सत्तर हजार)
13	प० चम्पारण	855000 (आठ लाख पचपन हजार)
		कुल-1,86,12,450 (एक करोड़ छयासी लाख बारह हजार चार सौ पचास)

क०प०उ०


उपर्युक्त मो0 1,86,12,450 (एक करोड़ छयासी लाख बारह हजार चार सौ पचास) मात्र से संबंधित आदेश वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 (वि0) दिनांक-17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। आवंटित राशि की एकमुश्त अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आवंटित राशि बजट उपबंध के अंतर्गत है।

3. जिला परिषद् को देय उपर्युक्त आवंटन मात्र इस शर्त के साथ आवंटित किया जाता है कि इसका उपयोग नियमानुसार एवं सरकारी अनुदेशानुसार संबंधित मद में ही किया जायेगा।
4. उपर्युक्त आवंटित राशि का आवंटन जिला परिषद् को तुरंत किया जाय। आवंटित राशि के व्यय की विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त कर सरकार को अविलंब भेजने की कृपा की जाय।
5. रिटर्न-I (वार्षिक विवरणी), उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराया जाय।
6. उपर्युक्त आवंटित राशि का विपत्र कोड नं0 एन0-3604002000001 एवं विषय शीर्ष-3106 तथा मांग संख्या-40 है।


विश्वासभाजन


(व्यास जी),
प्रधान सचिव।


ज्ञापांक-..... 16 (9) रू० दिनांक-..... 12-1-15
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(व्यास जी),
प्रधान सचिव।


ज्ञापांक-..... 16 (9) रू० दिनांक-..... 12-1-15
प्रतिलिपि :- सभी सम्बंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-..... 16 (9) रू० दिनांक-..... 12-1-15
प्रतिलिपि- सम्बंधित उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-..... 16 (9) रू० दिनांक-..... 12-1-15
प्रतिलिपि :- ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज निदेशालय, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), पटना/विभागीय बजट शाखा-5 तथा विभागीय प्रशाखा-9 को 10 (दस) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(व्यास जी),
प्रधान सचिव।